रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225913
CG-DL-E-15032021-225913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 2021/फाल्गुन 24, 1942
No. 89] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 2021/PHALGUNA 24, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

फा.सं. 1/8/2021-पीएम.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 2 मार्च, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 11/14/2013-पीआर में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

पूर्वकथित अधिसूचना में तालिका में, कॉलम 2 में, खण्ड (डी) के बाद श्रेणी (v) के समक्ष "निवेश स्वरूप" शीर्षक के अधीन,-

i. निम्नलिखित उपवाक्य जोड़ा जाएगा नामतः-

"(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित श्रेणी I और श्रेणी II आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों (एआईएफ) द्वारा जारी इकाईयां।"

ii. पहले परंतुक में, 'इस श्रेणी सं. (v) के अधीन' शब्दों, कोष्ठक और संख्या के स्थान पर '(क) से (घ) उप-श्रेणियों में' शब्दों, कोष्ठक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iii. दूसरे परंतुक में, 'इस श्रेणी के अधीन' शब्दों के स्थान पर '(क) और (घ) उप-श्रेणियों में' शब्दों, कोष्ठक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iv. तीसरे परंतुक के बाद, निम्नांकित जोड़ा जाएगा:-

"निम्न दशाओं के परिपूर्ण होने के अध्यधीन श्रेणी (ई) में निवेश अनुमत है:-

i. श्रेणी I के अधीन अनुमत निधियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां] विनियमन, 2012 में वर्णित किए अनुसार अवसंरचना निधियां, एसएमई निधियां, जोखिम पूंजी निधियां और सामाजिक जोखिम पूंजी निधियां हैं;

ii. सेबी [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश)निधियां] विनियमन, 2012 के अनुसार श्रेणी II– एआईएफ हेतु ऐसी एआईएफ निधियों को कम से कम 51% या तो किसी अवसंरचना संस्था में या एसएमई में या जोखिम पूंजी अथवा सामाजिक कल्याण संस्थाओं में निवेशित होगी;

iii. निधियों को उन्हीं एआईएफ में निवेशित किया जाए जिनकी राशि 100 करोड़ रुपए के बराबर या उससे अधिक है;

iv. एकल एआईएफ को अरक्षितता एआईएफ आकार के 10% से अधिक नहीं जाएगी। तथापि, यह सीमा सरकार द्वारा प्रायोजित एआईएफ पर लागू नहीं होगी;

v. निधियों में यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों की प्रतिभूतियों या भारत से बाहर निगमित और/या प्रचालित निधियों में न किया जाए;

vi. आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि का प्रायोजक निधि का प्रवर्तक या निधि का समर्थक समूह नहीं होना चाहिए; और

vii. एआईएफ निवेश प्रबंधक द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए जो निधि या निधि के समर्थक समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित या संचालित किया जाता हो।"

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, के दिनांक 02 मार्च, 2015 के सं. 11/14/2013-पीआर के माध्यम से प्रकाशित हुई थी और तदनुसार 12 फरवरी, 2019 के सं. 11/14/2013-पीआर और 11 दिसम्बर, 2019 के सं. 10/41/2018-पीएम (भाग-2) के माध्यम से संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

F. No. 1/8/2021-PM.—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, No. 11/14/2013-PR, dated the 2nd March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 2nd March, 2015, the Central Government hereby makes the following amendments, namely:—

In the said notification, in the table, in column 2, under the heading "INVESTMENT PATTERN" against category (v), after clause (d), -

i. The following clause shall be inserted namely:-

"(e) Units issued by Category I and Category II Alternative Investment Funds (AIF) regulated by the Securities and Exchange Board of India."

ii. In the first proviso, for the words, bracket and number 'under this category No. (v)' words, bracket and letters 'in sub-categories (a) to (d)' shall be substituted.

iii. In the second proviso, for the words 'under this category' words, bracket and letters 'in sub-categories (a) to (d)' shall be substituted.

iv. After the third Proviso, following may be inserted:-

"The investments in category (e) is allowed subject to satisfaction of the following conditions:-

i. The Permitted funds under Category I are infrastructure funds, SME Funds, Venture Capital Funds and Social Venture Capital Funds as detailed in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

ii. For category II- AIF as per SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, at least 51% of the funds of such AIF shall be invested in either of the infrastructure entities or SMEs or venture capital or social welfare entities;

iii. Funds shall invest only in those AIFs whose corpus is equal to or more than Rs. 100 crores;

iv. The exposure to a single AIF shall not exceed 10% of the AIF Size. However, this limit would not apply to a Government sponsored AIF;

v. Funds to ensure that investment should not be made directly or indirectly in securities of the companies or Funds incorporated and/or operated outside India;

vi. The Sponsor of Alternative Investment Fund should not be the promoter in the Fund or the promoter group of the Fund; and

vii. The AIFs shall not be managed by investment manager, who is directly or indirectly controlled or managed by the Fund or the promoter group of the Fund."

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, vide No. 11/14/2013-PR, dated the 2nd March, 2015 and subsequently amended vide No. 11/14/2013-PR, dated the 12th February, 2019 and No. 10/41/2018-PM (Part-2) dated 11 December 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.15 22:14:36 +05'30'